## न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री नवनीत कुमार**
**अपील संख्या** : 01/2026

श्री परमेश्वरीदास पुत्र श्री सन्तराम, जाति हिन्दू निवासी मेरा मरमाड, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश — अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज — रेस्पोडेन्ट

**उपस्थिति** :

1. श्री विजय कुमार भादाणी — वकील अपीलान्ट
2. पैरोकार राजस्थान सरकार

## *निर्णय*

दिनांक :– 18–03–2026

यह अपील अपीलान्ट श्री परमेश्वरीदास पुत्र श्री सन्तराम, जाति हिन्दू निवासी मेरा मरमाड, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–07–2025 को राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध के विस्थापितों को इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1972 के तहत धारा 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपीलान्ट को दिनांक 29–04–1994 को उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास राजा का तालाब, जिला कांगडा द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 20–09–2000 की पालना में उपनिवेशन तहसील, रामगढ–2 के चक 6 एनटीएम के मु0नं0 111/01 की 21 बीघा कमाण्ड व 4–00 बीघा अनकमाण्ड कुल 25–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट ने विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया तथा उसकी तमाम किश्तें जमा करवा दी गई, आवंटन नियमों के मुताबिक तमाम किश्तें जमा होते हुए अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि पर खातेदारी देने के लिए खातेदारी प्रस्ताव क्रमांक 288, दिनांक 16–09–2016 को भिजवाया गया। इस पत्रांक पर अपीलान्ट का आवंटन यह कहकर खारिज कर दिया गया कि आवंटन नियम, 1972 की धारा 2(1)(VI) व नियम 4(1) के मुताबिक नाबालिग होने के कारण आवंटन खारिज कर दिया गया, जबकि आवंटन की पात्रता पूर्व में ही निश्चित की जा चुकी है। इस पात्रता के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकार पात्रता का आदेश आज दिन भी प्रभाव में है। पात्रता का आदेश प्रभाव में होते हुए जो आवंटन खारिज किया गया है वो विधिसम्मत नहीं है। अदालत मातहत ने आवंटन नियम की धारा 2(1)(VI) का विश्लेषण सही ढंग से नहीं किया गया है। इसमें नाबालिग शब्द कहीं नहीं आया है केवल फेमिली में विस्थापित कार्ड में उसका नाम होना आवश्यक है, जो स्वयं अदालत मातहत ने स्वीकार किया है मगर इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपना मोटिव पूरा न होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को आवंटन होने के पश्चात आवंटन अधिकारी के आदेश के मुताबिक कब्जा व पट्टा दे दिया गया तथा रकबे की तमाम किश्तें जमा करा दी गई तथा समयावधि के मुताबिक अपीलान्ट उक्त भूमि का खातेदार स्वतः ही हो गया, मगर इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज

करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के पीठ पीछे बिना नोटिस व सूचना दिये पारित किया गया है, ऐसा आदेश एवं अदालत मातहत की कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध साक्ष्य अधिनियम के तहत पढी नहीं जा सकती, इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नहीं दिया गया और अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है इस कारण भी आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश साईक्लोस्टाईल आदेश है तथा स्पीकिंग ऑर्डर की तारीक में नहीं आता है, इस कारण आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–07–2025 को एकतरफा तौर पर बिना सुने खिलाफ कानून हकदार होते हुए खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट को सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु निवेदन किया।

इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि श्री परमेश्वरीदास पुत्र श्री सन्तराम का भूमि आवंटन हेतु दिनांक 29–04–1994 को उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब, जिला कांगडा द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 20–09–2000 को उपनिवेशन तहसील, रामगढ–2 के चक नम्बर 6 एनटीएम के मु0नं0 111/1 में 21–00 कमाण्ड व 4–00 अनकमाण्ड कुल 25–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। विस्थापित द्वारा उक्त भूमि का दिनांक 09–05–2002 को कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि की देय राशि खजानाराज में जमा करवाये जाने पर उपनिवेशन तहसीलदार, रामगढ–2 द्वारा खातेदारी प्रस्ताव भिजवाये गये। प्रकरण में विस्थापित के पिता श्री सन्तू पुत्र श्री कोडू के नाम से दिनांक 22–03–1973 को टीका–मौजा हवानी सौंथील की 1 केनाल 12 मरला भूमि अवाप्त होने पर पात्रता प्रमाण पत्र भिजवाया गया। जिस पर दिनांक 22–03–1973 को तहसील, अनूपगढ के चक 20 ए के मु0नं0 312/453 में 25–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब द्वारा दिनांक 22–03–1973 को मूल विस्थापित श्री सन्तू पुत्र श्री कोडू के नाम से जारी पात्रता प्रमाण पत्र के संलग्न फार्म–II ए में परिवार के सदस्य में श्री परमेश्वरीदास की आयु 18 वर्ष अंकन किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1961 में श्री परमेश्वरीदास की आयु 6 वर्ष थी। श्री परमेश्वरीदास के नाम से एक और जारी प्रमाण पत्र के संलग्न फॉर्म II ए में श्री परमेश्वरीदास की उम्र 34 वर्ष का अंकन है। इस संबंध में उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास को पत्रांक 820, दिनांक 26–03–2025 एवं श्री परमेश्वरीदास को पत्रांक 818, दिनांक 26–03–2025 को नोटिस जारी किया जाकर प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गयी। उपायुक्त, राहत एवं पुनर्वास के पत्रांक 629, दिनांक 03–05–2025 के संलग्न पौंग बांध में अवाप्त भूमि के टीका–मौजा की वर्ष 1961 की जमाबंदी जिसके क्रम में 1963–64 की जमाबंदी में श्री परमेश्वरीदास का नाम मूल विस्थापित श्री सन्तू पुत्र श्री कोडू की संयुक्त भूमि में शामिल है। मूल विस्थापित श्री सन्तू उर्फ श्री सन्तराम की मृत्यु दिनांक 27–02–1996 को हो गयी है।

राजस्थान उपनिवेशन (पौंग बांध के विस्थापितों को इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1972 के अनुसार मूल विस्थापित श्री सन्तू पुत्र श्री कोडू को दिनांक 23–03–1973 को आवंटन किया जा चुका है। प्रकरण में आवंटन नियम, 1972 के नियम 2(1)(VI) के अनुसार श्री परमेश्वरीदास दिनांक 31–03–1961 में नाबालिग था। पिता के जीवनकाल में पिता को विस्थापित के नाम भूमि आवंटन होने के कारण एक यूनिट माना जाता है। इस प्रकार श्री परमेश्वरीदास पृथक् से विस्थापित के रूप में भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। अतः आवंटन नियम, 1972 के नियम 2(1)(VI) एवं नियम 4(1) के तहत विस्थापित पृथक् से भूमि आवंटन करवाने का पात्र नहीं होने से श्री परमेश्वरीदास को दिनांक 20–09–2000 को उपनिवेशन तहसील, रामगढ–2 के चक नम्बर 6 एनटीएम के मु0नं0 111/1 में 21–00 कमाण्ड व 4–00 बीघा अनकमाण्ड कुल 25–00 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 10–07–2025 को निरस्त किया गया है, वह सही है।

पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि हम आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 10–07–2025 व पैरोकारराज के कथन से सहमत है। प्रकरण में आवंटन नियम, 1972 के नियम 2(1)(VI) के अनुसार श्री परमेश्वरीदास दिनांक 31–03–1961 में नाबालिग था। पिता के जीवनकाल में पिता को विस्थापित के नाम भूमि आवंटन होने के कारण एक यूनिट माना जाता है। इस प्रकार श्री परमेश्वरीदास पृथक् से विस्थापित के रूप में भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। अतः आवंटन नियम, 1972 के नियम 2(1)(VI) एवं नियम 4(1) के तहत विस्थापित पृथक् से भूमि आवंटन करवाने का पात्र नहीं होने से श्री परमेश्वरीदास को दिनांक 20–09–2000 को उपनिवेशन तहसील, रामगढ–2 के चक नम्बर 6 एनटीएम के मु0नं0 111/1 में 21–00 कमाण्ड व 4–00 बीघा अनकमाण्ड कुल 25–00 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 10–07–2025 को निरस्त किया गया है, वह सही है।

अपीलान्ट वकील द्वारा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 10–07–2025 के विरूद्ध पौंग बांध विस्थापितों के संबंध में कुटुम्ब में पिता के जीवनकाल में रहते हुए नाबालिक सदस्य को पौंग बांध विस्थापितों के नाते पृथक् भूमि आवंटन किये जाने के संबध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10–07–2025 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति व अधीनस्थ रिकार्ड, अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जाकर प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/3/2026

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर